प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 28 जुलाई, 2015**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित केन्द्रीय योजना 'राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन' में धनराशि रू0-2773.97 लाख के सृजित दायित्वों के भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-72/बजट-आयोजनागत/2015-16, दिनांक: 02.07.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि कुल रूपये 330003/-हजार (रूपये तैतीस करोड़ तीन हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-277397 हजार (रूपया सत्ताईस करोड़ तिहत्तर लाख सत्तानबे हजार मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या-10 2401-फसल कृषि कर्म आयोजनागत 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के0-75/रा0-25-के0+रा0) 27-सब्सिडी	04-यात्रा व्यय	600	--
	08-कार्यालय व्यय	1000	--
	09-विद्युत देय	529	--
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1000	--
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500	--
	13-टेलीफोन	800	--

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2000	--
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	--
	18-प्रकाशन	600	--
	27-सब्सिडी	310770	277397
	29-अनुरक्षण	2200	--
	42-अन्य व्यय	500	--
	44-प्रशिक्षण पर व्यय	504	--
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1500	--
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000	--
	योग-	**330003**	**277397**

(रूपया सत्ताईस करोड़ तिहत्तर लाख सत्तानबे हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त अवमुक्त धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी। प्रथम किश्त का 80 प्रतिशत व्यय हो जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाहय सहायतित तथा राजय/जिला सेक्टर, जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (कैश OR काइन्ड) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना हे, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक-07.11.2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक- 31.01.2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेन्ट के माध्यम से किए जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-II, दिनांक-29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-1-409/दस-2015, दिनांक-24.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-24/2015/690(1)/58-2-2015, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in